(2008) 6 SCR 377

जीतेन्द्र सिंह

बनाम

भानु कुमारी एवं अन्य

सिविल अपील सं. 2786/2008

11 अप्रैल 2008

[न्यायाधिपति डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - धारा 24 - मामलो का अन्तरण- आवेदन अन्तर्गत धारा 24 - उच्च न्यायालय का निर्देश अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अलवर के न्यायालय से मामला जिला न्यायाधीश, जयपुर को अन्तरित – चुनौती - निर्णित : अन्तरण का निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय ने जो आधार बताए उनसे वास्तव में अन्तरण का मामला नहीं बनता - अन्तरण का आदेश देने में न्यायालय को न्यायिक रूप से कार्य करना चाहिए - उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाता है।

प्रत्यर्थी नंबर 1 ने 'सीपीसी' की धारा 24 के संदर्भ में आवेदन किया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलवर, राजस्थान के समक्ष लंबित मामले को किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित किया जाये। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि विचाराधीन मुकदमे को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या

2 अलवर की अदालत से जिला न्यायाधीश, जयपुर शहर की अदालत में अन्तरित किया जाये। इसलिए यह अपील।

अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. धारा 24 सीपीसी का उद्देश्य केवल न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करना है। धारा 24 सीपीसी के तहत कार्य करने वाली अदालत अपने न्यायिक विवेक से किसी विशेष मामले को अन्तरित कर भी सकती है और नहीं भी। धारा 24 किसी मामले के अन्तरण का आदेश देने के लिए कोई आधार निर्धारित नहीं करती है। कुछ मामलों में स्वत: संज्ञान से इसका आदेश दिया जा सकता है और प्रशासनिक कारणों से भी ऐसा किया जा सकता है। लेकिन जब किसी पक्ष द्वारा अन्तरण के लिए आवेदन किया जाता है, तो अदालत को अन्तरण का निर्देश देने से पहले दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करना और पक्ष को सुनना आवश्यक होता है। अन्तरण का आदेश देने में न्यायालय को न्यायिक रूप से कार्य करना चाहिए। [पैरा 9]

2. प्रत्यर्थियों द्वारा शिकायत की गई कि अलवर में कोई भी सक्षम वकील उनका प्रतिनिधित्व करने को तैयार नहीं है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मुकदमा दो व्यक्तियों द्वारा दायर किया गया है। प्रत्यर्थियों 2 और 3 का प्रतिनिधित्व अनुभवी वकीलों द्वारा किया गया है और वे बहुत लंबे समय से प्रत्यर्थियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इससे पहले अन्तरण याचिका (सिविल) संख्या 1105/2005 का कुछ निर्देशों के साथ निस्तारण किया गया था। अन्तरण का निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय ने जो

आधार बताए है, उनसे वास्तव में अन्तरण का मामला नहीं बनता है। इसलिए उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाता है। [पैरा 7,8 व 9]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 2786 ऑफ़ 2008

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच के एस.बी. सिविल अन्तरण यचिका संख्या 41/2006 के निर्णय व आदेश दिनांक 27.11.2006 से

कैलाश वासुदेव, रेशमा रिया सिन्हा, एस. सी. घोष और पारिजात सिन्हा - अपीलार्थी की ओर से।

श्याम दीवान, एन. श्रीधरन, हेमंत शर्मा, सुनील नाथ, अजय कुमार, ऋचा श्रीवास्तव, इंदु शर्मा, एस. एस. राणा, बिंद्रा राणा (एस. एस. राणा एंड कंपनी) के. सुनील, पवन कुमार और एल. आर. सिंह - प्रत्यर्थियों की ओर से।

निर्णय

न्यायाधिपति डॉ. अरिजीत पसायत

1. अनुमति स्वीकृत।

2. इस अपील में चुनौती राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को है। प्रत्यर्थी नंबर 1 ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'सीपीसी') की धारा 24 के संदर्भ में आवेदन दायर किया था, जिसमें सिविल प्रकरण संख्या 41/202/05

शीर्षक जितेंद्र सिंह बनाम श्रीमती भानु कुमारी एवं अन्य था जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलवर, राजस्थान के समक्ष लंबित है, को किसी अन्य न्यायालय में  अन्तरित करने की मांग की गई थी। आक्षेपित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि विचाराधीन मुकदमे को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या 2 अलवर की अदालत से जिला न्यायाधीश, जयपुर शहर की अदालत में अन्तरित किया जाए।

3. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यह अपीलकर्ता को उसके वैध अधिकार से वंचित करने का एक और प्रयास है। यह बताया गया है कि एक पूर्व याचिका (ट्रांसफर याचिका (सी) संख्या 1105/ 2005, जिसका शीर्षक महाराजा सेवई तेज सिंह बनाम जितेंद्र सिंह और अन्य था) में इस अदालत ने अन्तरण के लिए प्रार्थना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। लेकिन उस मामले में याचिकाकर्ता की उम्र और स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक वादार्थ संरक्षक की नियुक्ति का निर्देश दिया। यह बताया गया है कि वास्तव में जैसा कि उच्च न्यायालय ने नोट किया है, एक विद्वान वकील को वादार्थ संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अपीलकर्ता का यह रुख है कि जिस कारण से उच्च न्यायालय ने अन्तरण का निर्देश दिया था, उसका वास्तव में कोई महत्व नहीं है, विशेष रूप से इस न्यायालय द्वारा पिछली अन्तरण याचिका में जो कहा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए।

4. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने कहा कि अभिकथनों की गंभीर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने अन्तरण का सही निर्देश दिया है।

5. उच्च न्यायालय के निष्कर्ष जिसके आधार पर अन्तरण का आदेश दिया गया है, निम्न प्रकार है:

> "अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि दिसम्बर 2005 में वाद को जिला न्यायाधीश द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या 2, अलवर को अन्तरित किया गया। हलांकि यचिकाकर्ता ने तुरत्न इस अदालत में दिनांक 17 अगस्त 2006 को एक यचिका दायर कि परन्तु इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया कि वाद को जिला न्यायाधीश अलवर की अदालत से अन्तरित किया जा चुका है। यचिकाकर्ता ने यचिका के पैरा संख्या 3 में यह कथन किया है कि प्रत्यथी जितेंद्र प्रताप सिंह प्रभावशाली व्यक्ति है तथा अलवर शहर का एम.एल.ए है व उसने इस प्रकार कि परिस्थिति उत्पन्न कर दी है जिससे यह प्रबल सम्भावना है कि जिला नयायाधीश के समक्ष लम्बित मामला एक पक्षीय विरुद्ध यचिकाकर्ता व अन्य सदस्य निर्धारित होगा। यचिकाकर्ता की यह आशंका, मेरे विचार में, सारहीन है। अदालतें नेताओ व प्रभावशाली व्यक्तियो से प्रभावित नही होती। याचिकाकर्ता को

न्याय की अदालत पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। यदि विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया गया था और याचिकाकर्ता इससे व्यथित था, तो उसे कानूनी रूप से इसका विरोध करना चाहिए था। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित करना मामले को अन्तरित करने का उचित आधार नहीं हो सकता।

लेकिन इस तथ्य को देखते हुए कि 8 जनवरी, 2006 को प्रत्यर्थी जितेंद्र सिंह ने याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थियो अमर राज पाल और जसवंत सिंह के खिलाफ पुलिस स्टेशन कोतवाली अलवर में एफआईआर संख्या 19/2006 दर्ज की और धारा 420, 467, 468 और 471 भा.दं.सं के तहत उनके विरूद्ध मामला दर्ज किया गया है तथा मामले की प्रकृति तथा पक्षकारों की सुविधा को देखते हुए तथा न्यायहित में वाद को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या 2 अलवर की अदालत से जिला न्यायाधीश, जयपुर शहर की अदालत में अन्तरित करने का निर्देश देना उचित एवं युक्तिसंगत होगा।"

6. ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने बताया कि एफआईआर दर्ज करने का

वास्तव में कोई महत्व नहीं है। वाद पत्र के कथनों के संबंध में, अन्तरण याचिका पर उच्च न्यायालय के समक्ष अपने उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था:

"उप पैरा (xviii) की सामग्री को बताए गए तरीके से स्वीकार नहीं किया गया है। उत्तर देने वाले प्रत्यर्थी ने उसमें नामित आरोपी व्यक्तियों द्वारा किए गए दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध का गठन करने वाले तथ्यों पर एफआईआर (अनुलग्नक -9) दर्ज की। इस बात से इनकार किया जाता है कि प्रत्यर्थी नंबर 1 ने याचिकाकर्ता पर दबाव डालने और याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील पर दबाव डालने के लिए एफआईआर दर्ज की है। आरोप निराधार हैं और पूरी तरह से बिना किसी तथ्य के हैं। यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी नंबर 2 ने जानबूझकर कार्रवाई की है -याचिकाकर्ता श्रीमती भानु कुमारी और उनके भाई यशवंत सिंह के साथ मिलकर, अपने पक्ष में एक कथित पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार की और उस पर कार्रवाई करते हुए प्रत्यर्थी नंबर 2 ने महाराजा सवाई तेज सिंह जी के लिए प्रतिफल 77,30,328/- रु. के लिए बातचीत की। 18.4.2005 को किया गया अनुबंध शून्य होने के अलावा अपर्याप्त प्रतिफल के लिए था। प्रत्यर्थी नंबर 2 ने वकील के रूप में प्रतिफल का आंशिक भुगतान नकद और अपने नाम पर चेक द्वारा प्राप्त किया। याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी नंबर 2 और 3 ने गलत तरीके से लाभ कमाने के लिए एक-दूसरे के साथ मिलकर प्रत्यर्थी नंबर 4 से दस्तावेजों या

कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मिलीभगत की, जो अक्षम व्यक्ति था, उन सामग्रियों को समझने में असमर्थ था जिन पर उससे हस्ताक्षर करवाए गए थे और/ या कि उसके हस्ताक्षर जाली थे। प्रत्यर्थी नंबर 2 श्री अमर राज लाल, वकील ने पेशेवर नैतिकता के खिलाफ काम किया और खुद को आपराधिक साजिश में शामिल किया। पावर ऑफ अटॉर्नी की सही प्रति, बिक्री के लिए अनुबंध दिनांक 18.4.2005 और रसीद दिनांक 25.4.2005 को इसके साथ संलग्न किया गया है और क्रमशः अनुबंध आर-1/4, आर-1/5 और आर-1/6 के रूप में चिह्नित किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अन्तरण याचिका में दायर प्रत्यर्थी नंबर 2 अमर राज लाल के हलफनामे की एक सच्ची और सही प्रति इसके साथ दायर की गई है और इसे अनुबंध आर-1/7 के रूप में चिह्नित किया गया है।"

7. यद्यपि प्रत्यर्थियों द्वारा शिकायत की गई है कि अलवर में कोई भी सक्षम वकील उनका प्रतिनिधित्व करने को तैयार नहीं है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मुकदमा दो व्यक्तियों द्वारा दायर किया गया है। प्रत्यर्थियों 2 और 3 का प्रतिनिधित्व अनुभवी वकीलों द्वारा किया गया है और वे बहुत लंबे समय से प्रत्यर्थियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में धारा 24 और 25 के प्रयोग के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इससे पहले अन्तरण याचिका (सिविल) संख्या 1105/2005 का कुछ निर्देशों के साथ निस्तारण किया गया था।

8. जिन कारणों से उच्च न्यायालय ने अन्तरण का निर्देश दिया, वे अन्तरण के आदेश के लिए उचित प्रतीत नहीं होते हैं।

9. धारा 24 सीपीसी का उद्देश्य केवल न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करना है। धारा 24 सीपीसी के तहत कार्य करने वाली अदालत अपने न्यायिक विवेक से किसी विशेष मामले को स्थानांतरित कर भी सकती है और नहीं भी। धारा 24 किसी मामले के अन्तरण का आदेश देने के लिए कोई आधार निर्धारित नहीं करती है। कुछ मामलों में स्वतः संज्ञान से इसका आदेश दिया जा सकता है और प्रशासनिक कारणों से भी ऐसा किया जा सकता है। लेकिन जब किसी पक्ष द्वारा अन्तरण के लिए आवेदन किया जाता है, तो अदालत को अन्तरण का निर्देश देने से पहले दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करना और पक्ष को सुनना आवश्यक होता है। इसे अलग ढंग से कहें तो, किसी पक्ष के आवेदन पर अन्तरण का आदेश देने में न्यायालय को न्यायिक रूप से कार्य करना चाहिए। मौजूदा मामले में अन्तरण का निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय ने जो आधार बताए है, उनसे वास्तव में अन्तरण का मामला नहीं बनता है।

10. तदनुसार, उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है।

11. अपील स्वीकार।

अपील स्वीकृत

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी चन्दन भाटी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।